संख्या-290/2018/2446/71-1-2018-जी-71/2011

प्रेषक

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 14 नवम्बर, 2018

विषयः- प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों के चिकित्सा शिक्षकों के वेतनमान अभिवृद्धि/संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-703/71-1-2015-जी-71/2011, दिनॉक 31.03.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विषय में सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय, प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों के चिकित्सा शिक्षकों (प्रवक्ता, सहायक आचार्य, सहआचार्य तथा आचार्य) के लिये निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित, दिनॉक 01 जनवरी, 2016 से पूर्व के वेतनमानों के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं एकेडेमिक ग्रेड वेतन के स्थान पर दिनॉक 01 जनवरी, 2016 से तालिका के स्तम्भ-4 में यू0जी0सी0 वेतनमान के अनुसार अंकित उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ए0जी0पी0 (एकेडमिक ग्रेड पे) अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र0	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान व ए0जी0पी0	उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड + ए0जी0पी0 (मैट्रिक्स में)
1	2	3	4
1	आचार्य	रू0 37400-67000 ए0जी0पी0-10000	एकेडेमिक लेवल-14 (इन्ट्री पे रू0 1,44,200)
2	सह-आचार्य	रू0 37400-67000 ए0जी0पी0-9000	एकेडेमिक लेवल-13ए (इन्ट्री पे रू0 1,31,400)
3	सहायक आचार्य/प्रवक्ता	रू0 15600-39100 ए0जी0पी0-7000/ 15600-39100 ए0पी0पी0-6000	एकेडेमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे रू0 68,900)/ एकेडेमिक लेवल-10 (इन्ट्री पे रू0 57,700)

2- उक्त तालिका में जिन पदों के वेतनमान उच्चीकृत किए गए है, उन पदों पर कार्यरत पदधारकों का वेतन निर्धारण मूल नियम-22 के उप नियम (क) के खण्ड (2)(ग) के अन्तर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2298/दस-2018, दिनॉक 14 नवम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-290/2018/2446(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. समस्त प्रधानाचार्य/वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
3. कोषाधिकारी, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, झॉसी, गोरखपुर, जालौन, कन्नौज, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, बॉदा तथा बदायूँ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-3, वित्त (वेतन आयोग), अनुभाग-1/2
5. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2/3
6. निदेशक, अधिष्ठान, पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।